Important notification for PWD's

As per RPD Act 2016 person with any form of disabilities don't have to stand in queue for medical treatment, vaccination. Ministry of health has issued this directive. If you take your ward to hospital for vaccination carry this notification and disability certificate, UDID card with you.

F.No. 34-03/2021-DD-III
भारतसरकार/ Government of India
दिव्यांगजनसशक्तिकरणविभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
सामाजिकन्यायऔरअधिकारितामंत्रालय/ Ministry of Social Justice & Empowerment
पाँचवातल, बीविंग, पंडितदीनदयालअंत्योदयभवन , सीजीओकॉम्प्लेक्स, लोधीरोड, नईदिल्ली -110003
5th Floor, B Wing, Pt. DeendayalAntyodayaBhawan, CGO Complex, New Delhi-110003

Dated: 26.04.2021

OFFICE MEMORENDUM

Subject: Priority and preference to Persons with Disabilities in testing, treatment and vaccination of corona virus - reg

The undersigned is directed toforward therewith a copy of representation dated 22.04.2021 received from National Federation of Blind, Delhi alleging that PwDs including persons with visual impairments have to stand in long queue for the purpose of testing, vaccination and treatment for COVID19 induced ailments.

2. In this regard, attention is invited to Section 25 (1)(c) of the RPwD Act, 2016 which mandates priority in attendance and treatment. M/o Health and Family Welfare is therefore requested to issue appropriate instructions to State/UT health authorities and healthcare institutions under its control to ensure that special provisions be made in COVID 19 testing, vaccination and treatment centers for priority in attending to and treatment of PwDs.

(D.K. Panda)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel: 24369059

Encl: As Above

M/o Health and Family Welfare
[Shri Lav Agarwal, Joint Secretary]
NirmanBhawan, New Delhi -11
Email: alav@ias.nic.in

CC to:
National Federation of the Blind, Delhi, email: nfbsec.g@gmail.com

न्यायालय, आयुक्त नि:शक्तजन मध्यप्रदेश

कम्युनिटी हॉल, न्यू मार्केट, टी.टी. नगर भोपाल
दूरभाष एवं टेलीफैक्स क्रमांक 0755-2773008
ई-मेल:-comm-pwds@mp.gov.in

क्रमांक/टी-2/एफ-422/2020-21/1640 भोपाल दिनांक 11 मई 2021

प्रति,

आयुक्त,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संचालनालय,
सतपुडा भवन, भोपाल

विषय:- कोविड-19 के बचाव हेतु दिव्यांगजनों को भी प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाए जाने बावत्।

संदर्भ:- 01- ओडिशा उच्च न्यायालय का रिट पिटीशन क्रमांक 16072/2021 में आदेश दिनांक 05/05/2021
02- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का पत्र क्रमांक F.No. 34-03/2021-DD-III

--00--

कोविड-19 महामारी के चलते देश में आपात कालीन स्थिति निर्मित हुई है तथा अनेक व्यक्तियों की मृत्यु तथा शारीरिक समस्या उत्पन्न हो गई है। इस महामारी के चलते आम आदमी के साथ-साथ दिव्यांगजनों को भी सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार एवं मुख्य आयुक्त, दिव्यांगजन, भारत सरकार द्वारा अनेक दिशा-निर्देश जारी किए गये है। राज्य आयुक्त दिव्यांगजन को इस संबंध में नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को लॉकडाउन अवधि में संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करने हेतु समय समय पर राज्य आयुक्त द्वारा समुचित दिशा-निर्देश जारी किये गये है ताकि दिव्यांगजनों का कोविड-19 के संक्रमण से बचाव किया जाना संभव हो सके।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर कोविड-19 की वैक्सीन लगाए जाने की कार्यवाही की जा रही है।

ओडिशा उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 05/05/2021 एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। तथा सक्षम मध्यप्रदेश एवं साइटसेवर संस्था से प्राप्त सुझाव अनुसार यह पत्र लेख किया जा रहा है।
दिव्यांगजनों को कोरोना वैक्सीन लगाये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावे एवं निम्नानुसार सुविधाएं दी जाने हेतु संबंधितों का निर्देशित करने का कष्ट करें :-

1. आने जाने की असुविधा से बचने के लिए एवं संक्रमण से बचने के लिए ग्राम स्तर पर वैक्सीनेशन या दिव्यांगों के लिए शासन द्वारा मोबाइल टीकाकरण केंद्र संचालित किया जाना चाहिए।
2. वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होने के कारण दिव्यांगजनों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है क्योंकि कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट फोन, इंटरनेट सुविधा, ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध नहीं होने

11/05/2021

(SANDEEP RAJAK)
Commissioner
Disability Madhya Pradesh
BHOPAL

से दिव्यांगों के पंजीकरण में काफी समस्या आ रही है। अतः दिव्यांगजनों के लिए विशेष ऑफ लाइन व्यवस्था वैक्सीनेशन केन्द्र पर ही उपलब्ध कराई जाए।

3. कई वैक्सीनेशन सेंटर सुग्मय ना होने के चलते दिव्यांग को लंबी कतारों में खड़े होना पड़ रहा है विशेषकर दृष्टिबाधित दिव्यांगों को वैक्सीनेशन सेंटर में कई सतहो पर स्पर्श करना पडता है अतः उन्हें संक्रमण का खतरा बढ जाता है। अतः वैक्सीनेशन सेंटर सुगम्य हो एवं वैक्सीनेशन सेंटर पर आये हुये दिव्यांगों के लिए एक दिव्यांग सहायक की उपलब्धता हो और उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाये। भारत सरकार दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग नई दिल्ली द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को संदर्भित पत्र दिनांक 29.04.2021 लिखा गया है।

अत: दिव्यांग अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 08 एवं धारा 25.1(क, ख, ग) एवं 25.2(झ, ञ)के तहत उक्तानुसार दिव्यांगजनों को उनके शारीरिक रूप से कमजोर होने एवं प्रतिरोधक क्षमता कम होने के चलते कोविड19 के संक्रमण की संभावना अधिक होने के कारण प्राथमिकता के आधार पर कोरोना वैक्सीन लगाये जाने हेतु संबंधितों का आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

11/05/2021

(संदीप रजक)

आयुक्त

नि:शक्तजन मध्यप्रदेश

(SANDEEP RAJAK)
Commissioner
Disability Madhya Pradesh
BHOPAL

पृ.क्रमांक/टी-2/एफ-422/2020-21/1641 भोपाल दिनांक 11 मई 2021

प्रतिलिपि,

1. सचिव, भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सरोजनी हाउस 6, भगवानदास रोड नई दिल्ली 110001 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तन कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सेवा, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सूचनार्थ।
6. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनलय भोपाल को सूचनार्थ।
7. श्री पियूष जैन, सह सचिव सक्षम मध्यप्रदेश जबलपुर को सूचनार्थ।
8. सुश्री जयश्री कुमार, राज्य मुख्य समन्वयक, साइटसेवर्स इंडिया भोपाल को सूचनार्थ।

11/05/2021

आयुक्त

नि:शक्तजन मध्यप्रदेश

(SANDEEP RAJAK)
Commissioner
Disability Madhya Pradesh
BHOPAL